संख्या– 55 / XXX(2) / 2015

प्रेषक,

पी0एस0 जंगपांगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव / प्रभारी सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।

कार्मिक अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 6 फरवरी, 2015

विषय– विभागीय संरचनाओं के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभिन्न विभागों द्वारा विभागीय संरचनाओं के संबंध में विभिन्न पदों के सृजन के प्रस्ताव सहमति हेतु पत्रावलियों के माध्यम से समय–समय पर कार्मिक विभाग को प्रेषित किये जा रहे हैं। स्थापित व्यवस्था के अनुसार विभागीय संरचनायें तैयार करते समय वर्तमान में स्वीकृत पद, उसके सापेक्ष कार्यरत् कार्मिकों, रिक्त पदों की गणना तथा पदों के रिक्त रहने के औचित्य स्पष्ट करते हुये अर्थात् पदों के सृजन का प्रस्ताव औचित्य के साथ परामर्शदात्री विभाग को परामर्श हेतु प्रेषित किया जाता है।

2– प्रायः यह देखने में आया है कि विभागों द्वारा इस प्रकार के प्रस्तावों का सम्यक रूप से परीक्षण नहीं किया जा रहा है। विभागाध्यक्ष स्तर से प्राप्त प्रस्तावों को उसी रूप में परामर्शदात्री विभागों को परामर्श हेतु संदर्भित कर दिया जाता है। परिणामस्वरूप वर्तमान में स्वीकृत पद उसके सापेक्ष कार्यरत् कार्मिकों तथा रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट न होने, रिक्त पदों का आचित्य स्पष्ट न होने और नये पदों के सृजन का औचित्य स्पष्ट न होने के कारण कार्मिक विभाग को परामर्श अंकित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है।

अतः इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि कृपया भविष्य में विभागीय संरचनाओं में पदों के सृजन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग को परामर्श हेतु संदर्भित करने से पूर्व प्रशासकीय प्रबन्धन को दृष्टिगत रखते हुये वर्तमान में स्वीकृत पदों उसके सापेक्ष कार्यरत् कार्मिकों तथा रिक्त पदों की स्थिति स्पष्ट करते हुये रिक्त पदों का औचित्य तथा नये प्रस्तावित पदों के सृजन के औचित्य को स्पष्ट करते हुये प्रस्ताव समुचित परीक्षण के पश्चात् ही कार्मिक विभाग को संदर्भित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पी0एस0 जंगपागी)
सचिव

क्रमश.....2

संख्या– 55 /XXX(2)/2014/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित :–

1. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
2. अधिशासी निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।

आज्ञा से,

(रमेश चन्द्र लोहनी)
अपर सचिव